न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–02/2009

उनवान

1 श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह राजपुत उम्र वयस्क निवासी बिलिया तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... वादी

बनाम

1. चतरा पुत्र श्री उंकार गाडरी निवासी बिलिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
2. हेमा पुत्र श्री उंकार गाडरी निवासी बिलिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. मगना पुत्र श्री जोधा गाडरी मृतक के बजाय :–
   1. नन्दलाल पुत्र श्री मगना गाडरी
   2. मांगू पुत्र श्री मगना गाडरी
   3. तेजू पुत्र श्री मगना गाडरी
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92–क व 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम घोषण बाबत्

उपस्थित :::– **अधिवक्ता वादीगण –श्री अमित कोठारी उप0**
अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या(1 से3)– अनु0
पेरोकार सरकार– प्रतिवादी संख्या 04 उप0

–:: निर्णय ::–

दिनांक 17.08.2021

यह है कि वादीगण ने वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89,92क व 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया की वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजियात पृथ्वीराज [illegible] श्री भवानी सिह राजपुत निवासी बिलिया वादी के पिता जागीर की भूमि का [illegible] और उनके काश्त अन्य आराजीयात के साथ खातेदारी अधिकार से चली आ रही [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.12.08 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested

पृथ्वी सिंह के प्रतिवादी 01 चतरा व हेमा के पि[illegible] उंकार व प्रतिवादी सं[illegible] काश्तकार थे और उन्हे पट्टे पर अभी खदकाश्त की भूमि से आराजी संख्या 686,687,688,689 कुल किता 04 रकबा 03 बिघा 06 बिस्वा भूमि दी गई थी जो उनके

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

नाम दर्ज होनी चाहीए तथा सहवन से बिना किसी आधार के आराजी संख्या 734 रकबा 02 बिघा 03 बिस्वा जिस पर सदेव से वक्त जागिर वादी का काबिज चला आ रहा है और काश्त कर रहा है वो लिखित भूल के कारण बिना किसी आधार के कारण प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिताजी व प्रतिवादी संख्या 03 के नाम राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज हो गई जिसे दुरस्त करा वादी अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी है ।

उक्त गॉव का नवीन बन्दोबस्त हुआ उस में गत आराजी संख्या 734 के नये नम्बर 1726/799 रकबा 01 बिघा 01 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1727/800 रकबा 17 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के नाम गलत इन्द्राज के रिपीटेशन से दर्ज है। जबकि उक्त आराजीयात पर वादी काबिज हो काश्त कर उपयोग उपभागे कर रहा है। इस हेतु वादी उक्त आराजीयत का खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है तथा स्थाई निषेद्याज्ञा इस अमर की सादिर फरमावें जावें की प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी अथवा हस्तक्षेप नही करें करावें।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सूचना दिलाई गई। प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हरदयाल वर्मा द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया एवं जवाब 01 से लगायत 03 द्वारा दिया गया की वादी पृथ्वीराज का लडका न होकर फतह सिंह राजपुत का लडका है तथा उक्त आराजीयात प्रतिवादी द्वारा करीब 80 वर्ष पहले क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया तथा उक्त आराजी का वादी से कोई लेना-देना नही है इस प्रकार वादपत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा वादी के वादपत्र प्रतिवादी के जवाब के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई जो निम्न है :-

1. आया वादी पृथ्वीराज सिंह भवानी सिंह राजपुत का पुत्र है तथा वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित आराजीयात काबिज काश्त वक्त जागिर से चला आ रहा है।

-वादी

2. आया वादपत्र की मद संख्या 01 में वर्णित गत बन्दोबस्ती आराजी संख्या 734 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा सहवन से बिना किसी आधार के व लिखित भूल के प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई एवं वादी उक्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

-वादी

3. आया भूमि प्रतिवादी के पूर्वजो द्वारा जर खरीद है [illegible] ही प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है।

-प्रतिवादी

4. आया विवादीत भूमि पृथ्वीराज सिंह की जागिर की भूमि नही है न ही वादी पृथ्वीराज सिंह का उत्तराधिकारी है।

-प्रतिवादी

5. अनुतोष

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.12.08 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

उक्त प्रकरण के अन्तर्गत वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में पीडब्ल्यू–1 पृथ्वीराज सिंह राजपुत का शपथ पत्र पेश किया तथा साक्ष्य में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रदर्श–1, राजस्व जमाबंदी प्रदर्श–2। पीडब्ल्यू–2 मोहन पुत्र गणेश लोहार के बयान लेखबद्ध कराये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये।

वादी की एक पक्षीय बहस सूनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में प्रस्तुत वादपत्र,जवाब दावा, एवं दस्तावेज, साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिसके क्रम में तनकीवार निर्णय निम्न है।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में निम्न नजीराते प्रस्तुत की :–

1. आर.आर.डी. 2001 पेज न 309
2. आर.आर.टी. 2008 (2)पेज 800
3. आर.आर.टी. 2007 (2)पेज 1245
4. आर.आर.टी. 2015 (1)पेज 506
5. आर.आर.टी. 2014–15 सप्लीमेन्ट्री पेज संख्या 456

तनकी संख्या–01

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने साक्ष्य मे प्रदर्श पी–1 उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। तथा वादपत्र के साथ मौका रिपोर्ट भी मंगवाई जो पत्रावली में संलग्न है जिसमें वादी का ही कब्जा बताया गया है गवाह पीडब्ल्यू–1 अपनी जिरह के अन्तर्गत भी कब्जा वादी का होना साबित है तथा स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में पीडब्ल्यू–2 पडोसी खातेदार की साक्ष्य प्रस्तुत की गई जिससे भी विवादित आराजी का वादी का ही कब्जा होना साबित है। इस प्रकार वादी द्वारा तनकी संख्या 01 को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। जिसे तनकी संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–02

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने उक्त तनकी के संबंध में नामान्तरण की नकल आराजी संख्या 734 के संबंध में प्रतिवादी के नाम दर्ज करने का कोई आधार प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावें के अन्तर्गत स्वंय द्वारा उक्त आराजीयात को कई वर्षो पूर्व क्रय करना बताया है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इस बाबत पत्रावली में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। जिससे यह स्पष्ट है कि आराजी संख्या 734 रकबा 02 बिघा 03 बिस्वा सहवन से बिना किसी आधार लिखित भूल से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई है। इस प्रकार तनकी संख्या 02 वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। इस कारण तनकी संख्या 02 का वादी के पक्ष में किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.12.08 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या–03

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण का है। प्रतिवादीगण अपने जवाब के अन्तर्गत विवादित आराजी को अपने पूर्व द्वारा पूर्व में क्रय किया जाना बताया है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावें की तायद में कोई

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

दस्तावेजी अथवा मोखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। जिससे उक्त तनकी प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहता है। इस कारण तनकी संख्या 03 का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है ।

तनकी संख्या–04

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण है प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के अन्तर्गत उक्त आराजीयात को पृथ्वीराज सिंह की भूमि नही होना तथा वादी को पृथ्वीराज सिंह का उत्तराधिकारी नही होना बताया है किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावें ताईद में कोई दस्तावेजी अथवा मोखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे उक्त प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। इस कारण तनकी संख्या का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

तनकी संख्या–05 अनुतोष

वादी तनकी संख्या 01 व 02 का निर्णय अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। जिसे आराजी संख्या 1726/799 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आराजी संख्या 1727/800 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम बिलिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा का खातेदार खाश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही स्थाई निषेद्याज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त मकें दखल अन्दाजी अथवा हस्तकक्षेप नही करे करावें।

–:: आदेश ::–

अतः वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व अन्तर्गत धारा 88,89,92–क व 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम घोषणा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा स्वीकार किया जाकर आराजी संख्या 1726/799 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आराजी संख्या 1727/800 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम बिलिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा साथ ही स्थाई निषेद्याज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त दखल अन्दाजी अथवा हस्तेक्षेप नही करे करावें। खर्चो फरीकेन अपना–अपना वहन करें। निर्णय दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansaul Aameria
Date: 2021.12.08 11:54:28 IST
Reason: SetAttested

(अंशुल आमेरिया)
सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंशुल आमेरिया(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02/2009

उनवान

1 श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह राजपुत उम्र वयस्क निवासी बिलिया तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... वादी

बनाम

1. चतरा पुत्र श्री उंकार गाडरी निवासी बिलिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
2. हेमा पुत्र श्री उंकार गाडरी निवासी बिलिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. मगना पुत्र श्री जोधा गाडरी मृतक के बजाय :–
   1. नन्दलाल पुत्र श्री मगना गाडरी
   2. मांगू पुत्र श्री मगना गाडरी
   3. तेजू पुत्र श्री मगना गाडरी
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92–क व 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम घोषणा बाबत

उपस्थित :::– अधिवक्ता वादीगण –श्री अमित कोठारी उप0
अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या(1 से3)– अनु0
पेरोकार सरकार– प्रतिवादी संख्या 04 उप0

वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,92–क व 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम घोषणा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा स्वीकार किया जाकर आराजी संख्या 1726/799 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आराजी संख्या 1727/800 रकबा 17 बिस्वा वाके ग्राम बिलिया तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा साथ स्थाई निषेद्याज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त दखल अन्दाजी अथवा हस्तेक्षेप नही करे करावें। खर्चा फरिकेन [illegible]ना वहन करे। आज दिनांक 17.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.12.08 11:54:28 IST
Reason: SelfAttested

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ (राज.)